उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक : ५५८५ –अधि0निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / अनु0–II–ई0 दिनांक [illegible]/11/2024

विषयः– **Performance Review of UPCL**

उपमुख्य कार्मिक अधिकारी–I,
कार्यालय अधिशासी निदेशक(मा0सं0),
उपाकालि, वि0का0वि0ग0सिंह ऊर्जा भवन,
देहरादून।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0–4455 / अधि0निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / S-I दि0 05.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपने उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पत्र सं0–**UERC/5/Tech/801/2024-25/1047** दिनांक 28.10.2024 के साथ संलग्न पूर्व पत्र सं0–**UERC/5/Tech/801/2024-25/929** दिनांक 30.09.2024 के सम्बन्ध में इस अनुभाग से पुनः सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया है।

इस सम्बन्ध मे बिन्दु सं0–03 Updated Version of Service Regulation पर अनुभाग में धारित बिन्दु सं0–4 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि **Transfer Policy** से सम्बनधित कारपोरेशन को संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है, अन्य कोई अद्यतन संस्करण अनुभाग में धारित नहीं है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(नकुल देव मिश्रा)
कार्मिक अधिकारी

S. No.	Subject	Page Count
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवम अन्य अधीनस्थ कार्यालय) विनियम–१६७०	03--22
2	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के कर्मचारियों का स्थानांतरण (विनियम–1995)	23--28
3	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली – 1998	29--35
4	गोपनीय आख्याएँ/ज्येष्ठता से सम्बनधित कार्यलय ज्ञाप (पत्रांक 1327)	36--42
5	विनियमित पद अंकित पदनाम से संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में। (दिसंबर 1988 अनुक्रम के अनुसार)	43--44
6	चतुर्थ श्रेणी (लिपिकीय संवर्ग) से तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) के पदो पर पदोन्नति के सम्बन्ध में।	45--47
7	सेवाकाल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों को परिष्द सेवा में भर्ती सम्बन्धो नियमावली में संशोधन।	48--50
8	मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत अनुकम्पा–नियुक्ति सम्बन्धित प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रलेखों के सम्बन्ध में।	51--56

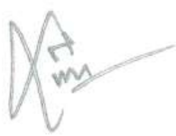

१२ दिसम्बर, १९७० को उत्तर प्रदेश सरकारी गजट में प्रकाशित

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवम् अन्य अधीनस्थ कार्यालय) विनियम-१९७०

सं० :- ११३६७ए/एस०ई०वी०-३९६ए दिनांक ३० सितम्बर, १९७०

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, १९४८ की धारा ७९(सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के अधीन मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवम् अन्य अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिकीय अधिष्ठान में पदों पर भर्ती एवम् नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं :—

भाग—१ सामान्य

१— संक्षिप्त नाम एवम् प्रारम्भ :

(१) यह विनियम "उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवम् अन्य अधीनस्थ कार्यालय) विनियम १९७० कहलायेंगे।

(२) ये राज्य सरकार के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

२— स्थिति :

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के अधीन मुख्य अभियन्ता के कार्यालयों एवम् अन्य अधीनस्थ कार्यालयों का लिपिकीय अधिष्ठान तृतीय श्रेणी का अधीनस्थ लिपिकीय अधिष्ठान हैं।

३— परिभाषायें :

जब तक विषय एवम् सन्दर्भ में कोई बात प्रसंगत न हो, इन विनियमों में :-

(१) 'अधिनियम' का तात्पर्य इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट १९४८ (१९४८) का अधिनियम संख्या (LIV) से है;

(२) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसे विनियम १९ के अधीन अधिष्ठान के विभिन्न वर्गों के पदों पर नियुक्ति का अधिकार दिया गया है।

(३) 'परिषद' का तात्पर्य उपर्युक्त अधिनियम की धारा-५ के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से है।

(४) मुख्य अभियन्ता का तात्पर्य परिषद के मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत) से है।

(५) 'वृत्त कार्यालय' का तात्पर्य परिषद के अधीन अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय से है।

(६) 'भारतीय नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग II के अन्तर्गत जो भारत का नागरिक हो या समझा जाय।

(७) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है।

(८) विभागीय अभ्यर्थी का तात्पर्य अधिष्ठान में किसी कार्यालय के किसी पद पर भर्ती के लिये ऐसे अभ्यर्थी से है जो अधिष्ठान में पहले से ही कम वेतनमान वाले पद पर कार्यरत हो।

(९) 'अधिष्ठान' का तात्पर्य परिषद के अधीन मुख्य अभियन्ता के कार्यालय तथा अन्य अधीनस्थ कार्यालयों के अधिष्ठान से है।

(१०) अधिशासी अभियन्ता का तात्पर्य परिषद के अधीन किसी खण्ड के अधिशासी अभियन्ता से है।

(११) सरकार या राज्य सरकार का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(१२) राज्यपाल का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(१३) अधिष्ठान का सदस्य का तात्पर्य इन विनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत या इन विनियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रचलित नियमों व आदेशों के अन्तर्गत अधिष्ठान के संवर्ग के किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।

(१४) अधीक्षण अभियन्ता का तात्पर्य परिषद के अधीन किसी वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता से है।

(१५) भर्ती का वर्ष का तात्पर्य किसी वर्ष में १ जनवरी से ३१ दिसम्बर की अवधि से है।

भाग—२ संवर्ग

— अधिष्ठान में पदों की संख्या :

(१) अधिष्ठान में पदों की संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या वह होगी जो समय समय पर परिषद द्वारा निर्धारित की जाय।

(२) अधिष्ठान के स्थायी पदों की तथा उसके अन्तर्गत प्रत्येक श्रेणी के स्थाई पदों की संख्या जब तक उपविनियम (१) के अधीन उसे परिवर्तित करने वाला कोई आदेश [धा]रित न हो, परिशिष्ट 'छ' में जैसी विनिर्दिष्ट है, होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि :—

(क) किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या अन्य प्रतिकार का अधिकार दिये बिना अधिष्ठान के संवर्ग में किसी भी रिक्त पद को मुख्य अभियन्ता बिना भरे छोड़ सकता है या परिषद उसे अस्थगित (Hold in Abeyance) कर सकता है तथा

(ख) आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन समय समय पर निम्न द्वारा किया जा सकता है :—

(i) स्थाई एवम् अस्थाई दोनों ही पदों के लिए परिषद द्वारा।

(ii) अस्थाई पदों के लिये पद सृजन के अधिकार के प्रत्यायोजन की सीमा व शर्तों के अधीन मुख्य अभियन्ता या अधीक्षण अभियन्ता द्वारा।

भाग—३ भर्ती

५— भर्ती के स्रोत :

१— मुख्य अभियन्ता के कार्यालय तथा अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में अधिष्ठान में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्न प्रकार से होगी :—

पद का नाम	भर्ती के स्रोत
'क'—मुख्य अभियन्ताओं के कार्यालय	
(क) मुख्य सहायक OS (SG)	निम्न से पदोन्नति द्वारा। (i) वृत्त कार्यालयों के स्थायी मुख्य सहायक २५% (ii) मुख्य अभियन्ता के कार्यालयों के स्थाई वरिष्ठ टिप्पणीकार (Senior N. & D.) ७५%
(ख) वरिष्ठ टिप्पणीकार (Senior N. & D.) OA-1	(i) परिषद के मुख्यालय के स्थाई अवर वर्ग सहायक २५% (ii) वृत्त कार्यालयों के स्थायी वरिष्ठ टिप्पणीकार २५% (iii) मुख्य अभियन्ता के कार्यालय के स्थाई अवर टिप्पणीकार एवं अभिलेख पाल (Junior Noter & Drafter and Record Keeper) ५०% प्रतिबन्ध यह है कि :— भर्ती के किसी भी वर्ष में प्रथम व द्वितीय रिक्त पदों की पूर्ति ऊपर मद (i) तथा (ii)

C-(4) (6)

में विनिर्दिष्ट स्रोत से होगी तथा शेष दो रिक्त पदों की पूर्ति ऊपर मद (iii) में विनिर्दिष्ट स्रोतों से होगी ।

(ग) अवर टिप्पणीकार एवम् अभिलेखपाल (Junior N. & D. and Record Keeper). OA-II

(i) प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा ५०%

(ii) मुख्य अभियन्ता के कार्यालय के स्थायी नैत्यक श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा । ५०%

1988 50% 50%

प्रतिबन्ध यह है कि :—

भर्ती के किसी भी वर्ष में होने वाली प्रथम रिक्ति की पूर्ति मद (ii) में विनिर्दिष्ट स्रोत से तथा द्वितीय रिक्ति की पूर्ति मद (i) में विनिर्दिष्ट स्रोत से की जायेगी और यही क्रम आगे चलेगा ।

(घ) नैत्यक श्रेणी लिपिक

प्रतियोगिता परीक्षा के परीणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा ।

*(ङ) आशुलिपिक

वृत्तीव एवम् खण्डीय कार्यालयों के स्थाई आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा इस शर्त के अधीन के वे अर्हता परीक्षा पास (Qualifying Test) कर लें ।

प्रतिबन्ध यह है कि :—

यदि वृत्तीय एवम् खण्डीय कार्यालयों से उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती की जायेगी ।

As per 1988 50% — x — 50%

*१-६-१९७७ से निम्न रूप में संशोधित

—वृत्तीय एवम् खण्डीय कार्यालयों के स्थाई आशुलिपिकों में से अयोग्य को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।

* अधिसूचना संख्या ३६९० एन०जी०-II-एस०ई०बी०-४-७७-४३१ के/७७ टी० सी० दिनांक १-१२-१९७७ (परिशिष्ठ-१) द्वारा ।

(च) साँख्यिकी सहायक	मुख्य अभियन्ता के कार्यालय के स्थायी संकलकों (Compilers) से पदोन्नति द्वारा।
(छ) संकलक (Compilers)	प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।
(ज) संगणक (Computor)	मुख्य अभियन्ता के कार्यालय तथा वृत्तीय एवं खण्डीय कार्यालयों के स्थाई प्रारूपकारों (Draughtsman) में से पदोन्नति द्वारा।
(झ) प्रारूपकार (Draftsman)	प्रतिबन्ध यह है कि :— मुख्य अभियन्ता कार्यालय तथा वृत्तीय एवम् खण्डीय कार्यालयों के सभी प्रारूपकारों की एक सयुक्त पदक्रम सूची रखी जायेगी। (i) प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों जो भी उचित समझा जाय, के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा। ५०% (ii) अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने की शर्त के अधीन मुख्य अभियन्ता के कार्यालय के स्थाई अनुरेखकों में से पदोन्नति द्वारा। ५०%
(न) अनुरेखक (Tracer)	प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों जो भी उचित समजा जाय के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।

'ख'—वृत्तीय (सर्किल) कार्यालय

(क) मुख्य सहायक	निम्न पदों से पदोन्नति द्वारा :— (१) मुख्य अभियन्ता के कार्यालय के स्थाई आशुलिपिक। १२½% (२) सभी वृत्तों के खण्डीय कार्यालयों के स्थाई मुख्य लिपिक ३७½% (३) वृत्तीय कार्यालयों के स्थाई वरिष्ठ टिप्पणीकार ५०% प्रतिबन्ध यह है कि :— भर्ती के किसी भी वर्ष में होने वाली रिक्तियों को प्रत्येक स्रोत के लिए निर्धारित

पदोन्नति को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त क्रमानुसार विभिन्न स्रोतों से पूरित किया जायेगा।

(ख) वरिष्ठ टिप्पणीकार (Senior N. & D.)	निम्नोक्त में से पदोन्नति द्वारा :— (१) समस्त वृत्तीय कार्यालयों के स्थाई अवर टिप्पणीकार तथा (२) खण्डीय कार्यालयों के स्थायी टिप्पणीकार। प्रतिबन्ध यह है कि :— भर्ती के किसी भी वर्ष में होने वाली रिक्तियों में से प्रथम रिक्ति की पूर्ति मद (१) में विनिदिष्ट स्रोत से की जायेगी तथा द्वितीय रिक्ति की पूर्ति मद (२) में विनिदिष्ट स्रोत से की जायेगी और यही क्रम आगे चलेगा।
(ग) अवर टिप्पणीकार (Junior N. & D.)	(१) समस्त वृत्तीय कार्यालयों के स्थाई नैत्यक श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति द्वारा। ५०% (२) खण्डीय कार्यालयों के स्थाई नैत्यक श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति के द्वारा। ५०% प्रतिबन्ध यह है कि :— सभी वित्तीय एवम् खण्डीय कार्यालयों के नैत्यक श्रेणी लिपिकों की ज्येष्ठता सूची वृत्तीय स्तर पर रखी जायेगी। अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि :— भर्ती के किसी भी वर्ष में होने वाली रिक्तियों में से प्रथम रिक्ति की पूर्ति मद (१) में विनिर्दिष्ट स्रोत से की जायेगी एवम् द्वितीय रिक्ति की पूर्ति मद (२) में विनिर्दिष्ट स्रोत से की जायेगी और यही क्रम आगे चलेगा।
(घ) नैत्यक श्रेणी लिपिक / समयपाल (Time Keeper)	प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।
(ङ) आशुलिपिक (Stenographers)	प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।

50%

50%

(झ) [illegible]णक (Computors) — इस विनियम के शीर्षक 'क' मुख्य अभियन्ताओं के कार्यालय के अन्तर्गत मद (ज) के उपबन्ध के अनुसार।

(छ) प्रारूपकार (Draftsman) — प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों जैसा भी उचित हो के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।

(ज) अनुरेखक (Tracer) — ~~प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों जैसा भी उचित हो, के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।~~

*८-६-१९७७ से निम्नवत रूप में संशोधित

(१) प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों जैसा भी उचित हो, के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा ५०%

(२) अर्हता परीक्षा पास कर लेने की शर्त के अधीन वृत्तीय कार्यालय के स्थायी अनुरेखकों की पदोन्नति द्वारा ५०%

'ग'—खण्डीय कार्यालय

(क) मुख्य लिपिक (Head Clark) — निम्नांकित में से पदोन्नति द्वारा :—

(i) वृत्त के अधीन सभी खण्डीय कार्यालयों के स्थाई टिप्पणीकार तथा मुख्य समयपाल के पद पर पदोन्नति हेतु विकल्प दें। ५०%

(ii) वृत्तीय कार्यालयों के स्थाई अवर टिप्पणीकार। ५०%

प्रतिबन्ध यह है कि :—

भर्ती के किसी भी वर्ष में होने वाली रिक्तियों में से प्रथम रिक्ति की पूर्ति मद (i) में विनिर्दिष्ट स्रोत से की जायेगी तथा द्वितीय

*विज्ञप्ति संख्या १८१४–एन०जी०–II/एस०ई०बी०–चार–७७–३२१/एन०जी०/७५ दिनांक ८–६–१९७७ (अनुलग्नक II) द्वारा।

रिक्ति की पूर्ति मद (ii) में विनिर्दिष्ट स्रोत से की जायेगी ।

(ख) टिप्पणीकार (Noter & Drafters)/मुख्य समयपाल (Head Time Keeper)	सभी समयपालों तथा वृत्तीय एवम् खण्डीय कार्यालयों के स्थाई नैत्यक श्रेणी लिपिक में से पदोन्नति द्वारा ।
(ग) नैत्यक श्रेणी लिपिक/समयपाल	प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा ।
(घ) आशुलिपिक	तदैव ।
(ङ) संगणक (Computors)	जैसा इस विनियम के शीर्षक 'ख' वृत्तीय कार्यालय के मद (च) में उपबन्धित है ।
*(च) प्रारूपकार (Draughtsman)	प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा ।
(छ) अनुरेखक (Tracer)	प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा ।
*८-६-१९७७ से निम्न रूप में संशोधित	(१) प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों जैसा उचित हो, के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा । ५०%
	(२) अर्हकारी परीक्षा पास करने की शर्त के अधीन वृत्तीय कार्यालय के स्थाई अनुरेखकों में से पदोन्नति द्वारा । ५०%

२— सभी कार्यालयों में नैत्यक श्रेणी लिपिक के पद पर तथा मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में अवर टिप्पणीकार (J.N.D.) के पद पर सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा, जैसी कि समय-समय पर यथा संशोधित नियुक्ति (ख) विभाग के शासनादेश संख्या ३५४५(१)/II-बी०१८५-१९६०, दिनांक ८ जून, १९६५ द्वारा परिचालित भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा जैसी कि समय-समय पर यथा संशोधित अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की भर्ती के नियमों में निर्धारित है, के परिणाम के आधार पर की जायेगी ।

टिप्पणी :—इन विनियमों के प्रारम्भ के समय प्रभावी ऊपर सन्दर्भित नियमों के सुसंगत उपबन्धों के उद्धरण इन विनियमों के परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं ।

---

*विज्ञप्ति संख्या १८१४—एन०जी०—II/एस०ई०बी०—चार—७७—३२१/एन०जी०/७५ दिनांक ८—६—१९७७ (अनुलग्नक—II) द्वारा ।

३– अन्य पदों पर सीधी भर्ती परिषद द्वारा निर्धारित रीति से की जायेगी ।

४– अन्य पद जो उपविनियम में (१) में निर्धारित रीति के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर भरे जायेंगे ।

५– जब दो या दो से अधिक विभिन्न श्रेणी के पदधारियों में से पदोन्नति द्वारा किसी रिक्त पद को पूरित करना हो तो आपस में उनकी ज्येष्ठता तथा पदोन्नति हेतु विचाराधीन उन श्रेणियों के पद धारियों की परस्पर ज्येष्ठता का निर्धारण निम्नवत किया जायेगा :–

(i) एक ही श्रेणी के पदधारियों की परस्पर ज्येष्ठता का निर्धारण उस उस श्रेणी में पहले से निर्धारित ज्येष्ठता के अनुरूप होगा ।

(ii) विभिन्न श्रेणियों के पदधारियों की परस्पर ज्येष्ठता का निर्धारण उस श्रेणी के पद पर उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर किया जायेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मामलों में जहां विभिन्न श्रेणी के पदों पर मौलिक नियुक्ति की तिथि एक ही है तो उनकी आयु के आधार पर ज्येष्ठता का निर्धारण किया जायेगा ।

*६– अनुसूचित जातियों एवम् अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण :

सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय राज्य सरकार के अधीन प्रभावी आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अनुरूप होगा ।

टिप्पणी :–इन विनियमों के प्रारम्भ के समय प्रभावी आदेशों की एक प्रति इन नियमों के परिशिष्ठ 'ख' में दी गयी है ।

---

*(१) परिषदाज्ञा संख्या २५२५ जी०ई० (II) एस०ई०बी०–७८–८१/ए–७२, दिनांक ३०–१–७८ (अनुलग्नक–४)

* (२) परिषदाज्ञा संख्या १६७–जी०ई०एस०ई०बी०/७६–८१ए०–७२ दिनांक १६–२–७६ (अनुलग्नक–५)

टिप्पणी :– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये तृतीय श्रेणी के पदों में आरक्षण सम्बन्धी आदेशों की प्रतियां अनुलग्नक–६ अनुलग्नक-७ में दिये हैं, जैसा नीचे लिखा गया है ।

परिषदाज्ञा संख्या १६२–के/एस०ई०बी० (के) १०के०/७०, दिनांक ४–७–७० (अनुलग्नक–६)

परिषदाज्ञा संख्या १७२८–एन०जी०-एस०ई०बी०–(चार) १०के०/७०, दिनांक ५–६–७४ (अनुलग्नक-७)

भाग—४ अर्हतायें

७— राष्ट्रीयता :

अधिष्ठान में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित होना चाहिये ,

(क) भारतीय का नागरिक या

(ख) सिक्किम की प्रजा या

(ग) तिब्बती शरणार्थी जो । जनवरी १९६२, से पूर्व भारत में स्थाई रूप से आवास की अभिलाषा से आया हो या

(घ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो भारत में स्थाई निवास के विचार से पाकिस्तान, वर्मा, सीलोन तथा पूर्वी अफ्रीका के देश कीनियाँ युगाण्डा और सुयुक्त गणराज्य तन्जानियां जो पहले टग्गानयीका और जञ्जीबार थे से स्थायी रूप से भारत में आवास की अभिलाषा से आया हो ।

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त वर्ग (ग) या (घ) में आने वाला व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र निर्गत किया जा चुका हो ।

प्रतिबन्ध यह है कि वर्ग 'ग' में आने वाले अभ्यर्थी को पुलिस उपमहा निरिक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करना होगा ।

प्रतिबन्ध यह भी है कि वर्ग (घ) में आने वाले अभ्यर्थी को उसके पात्रता प्रमाण-पत्र में दी गयी अवधि के पश्चात सेवा में नहीं रखा जायेगा जब तक उसने भारतीय नागरिकता का प्रमाण-पत्र न प्राप्त कर लिया हो ।

टिप्पणी :— किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसके लिये पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु, ना ऐसा प्रमाण-पत्र दिया हो और न दिये जाने से मना किया गया हो, भर्ती करने वाले अधिकारी द्वारा लिये जाने वाले साक्षात्कार या परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकेगा और उसकी तदर्थ रूप में उस शर्त के साथ नियुक्ति भी की जा सकेगी कि वह आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगा या उसके पक्ष में उसे जारी करा लेगा ।

८— आयु :

अधिष्ठान में विभिन्न वर्ग के पदों पर परसीधी नियुक्ति के लिये प्रतियोगिता परीक्षा सम्पन्न होने वाले वर्ष की पहली जनवरी को अभ्यर्थी की आयु निम्नोक्त न्यूनतम से कम तथा निम्नोक्त अधिकतम् से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

पद का नाम	न्यूनतम	अधिकतम
१	२	३
१– मुख्य अभियन्ता के कार्यालय वृत्तीय एवम् प्रभागीय कार्यालयों के अवर टिप्पणीकार सन्दर्भ लिपिक एवम् अभिलेखपाल	१२	२५*
२– सभी कार्यालयों में आर० जी० सी० (नैत्यक टिप्पणीकार तथा टंकक)	१८	२२*
३– सभी कार्यालयों के आशुलिपिक	२०	३०

प्रतिबन्ध यह है कि :–

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी तथा राज्य सरकार से छटनी किये गये कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा तीन वर्ष अधिक होगी।

(ख) यदि उचित व्यवहार या कार्य या जनहित में मुख्य अभियन्ता आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थी के किसी भी वर्ग के लिये आयु सीमा को शिथिल कर सकता है किन्तु जब, सीधी भर्ती के लिये ऐसा करना आवश्यक समझा जाय तो इस आशय का उपबन्ध विज्ञापन अवश्य समाविष्ट किया जाना चाहिये।

२– (क) किसी विभागीय अभ्यर्थी के मामले में जो मुख्य अभियन्ता या अधीक्षक अभियन्ता के कार्यालयों में अबर टिप्पणीकार, सन्दर्भ लिपिक या अभिलेख पाल के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी हैं उपविनियम (१) में निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितने पूर्ण वर्षों की सेवा उसने पूरी करली हो।

(ख) मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता के कार्यालयों में आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिये किसी विभागीय अभ्यर्थी के लिये अधिकतम आयु सीमा उपविनियम (१) निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा से पांच वर्ष अधिक होगी।

६– शैक्षिक अर्हतायें :

अधिष्ठान में विभिन्न श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिये किसी अभ्यर्थी में देवनागरी लिपि में लिपि में लिखित हिन्दी के सम्यक ज्ञान के साथ-साथ निम्नोक्त शैक्षिक योग्यतायें होनी चाहिये :–

* परिषदाज्ञा संख्या ४१६६–ए/एस०ई०बी०–ख–८६ए/७२, दिनांक ७–७–७२ (२७ वर्ष के रूप में संशोधित (परिशिष्ट 'ज')

पद का नाम	अर्हतायें
१– मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में अवर टिप्पणीकर तथा अभि-लेखपाल	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य अर्हता ।
२– नैत्यक श्रेणी लिपिक/समभर्पाल	हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा मानी गयी उसके समतुल्य अन्य कोई परीक्षा ।
३– मुख्य अभियन्ता के कार्यालय तथा वृत्तीय एवम् खण्डीय कार्यालय में आशुलिपिक	हाई स्कूल एवम् इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्यपाल द्वारा मानी गयी उसके समतुल्य कोई अन्य परीक्षा ।
४– संकलक (Compiler)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र के साथ स्नातक की उपाधि या बी० काम० या उसके समतुल्य अन्य कोई अर्हता ।
५– प्रारूपकार (Draughtsman)	(१) रुड़की विश्वविद्यालय का ड्राफ्ट्समैन-शिप का प्रमाणपत्र या (२) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का ड्राफ्ट्समैन का प्रमाण-पत्र या, (३) मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ का ड्राफ्ट्मैन का प्रमाण-पत्र या, (४) राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद का ड्राफ्ट्समैन का प्रमाण-पत्र या, (५) राजकीय कला एवम् शिल्प महा-विद्यालय लखनऊ का तीन वर्ष के डिप्लोमा का प्रमाण-पत्र या, (६) राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद का वास्तु अभियन्त्रण (Civil Engg.) में तीन वर्ष का डिप्लोमा । (७) केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधि-नियम द्वारा भारत में स्थापित किसी

भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त वास्तु अभियन्त्रण में डिप्लोमा या,

(८) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का ड्राफ्ट्समैनशिप का प्रमाण-पत्र ।

९— अनुरेखक (Tracer) — आरेखण (Drawing) (कला) विषय के साथ हाईस्कूल ।

१०— चरित्र :

अधिष्ठान में भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि जिससे वह अधिष्ठान में नियुक्त के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त हो । इस सम्बन्ध में स्वयम् को संतुष्ट करने का उत्तरदायित्व नियुक्ति प्राधिकारी पर होगा ।

टिप्पणी :—ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी भी विद्युत परिषद द्वारा पदच्युत किये गये हों नियुक्ति के लिये अयोग्य समझे जायेंगे ।

११— वैवाहिक स्थिति :

कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या कोई महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी हो, अधिष्ठान में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

प्रतिबन्ध यह है कि :—

यदि परिषद का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हो तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के उपबन्ध से छूट दे सकता है ।

१२— शारीरिक स्वस्थ्यता :

कोई भी अभ्यर्थी अधिष्ठान के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह मानसिक एवम् शारीरिक रूप से स्वथ्य न हो और किसी भी शारीरिक दोष से जो उसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक-पालन-में बाधा-उत्पन्न करे, मुक्त न हो । अधिष्ठान में सीधी भर्ती द्वारा लिये गये अभ्यर्थी द्वारा लिये गये अभ्यर्थी की नियुक्ति का अन्तिम रूप से अनुमोदन करने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि जब तक इस निमित्त तत्स्थानी (Corresponding विनियम न बनाले तब तक वह वित्तीय हस्त- पुस्तिका खण्ड २, भाग III के अध्याय III व मौलिक नियम १० के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार सिविल सर्जन का स्वास्थ्यता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें ।

भाग ५— सीधी भर्ती की प्रक्रिया

१३— भर्ती के लिये आवेदन :

(१) नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष में अधिष्ठान में विभिन्न श्रेणी के पदों में होने वाली सम्भावित रिक्तियों का तथा उन रिक्तियों में से सीधी भर्ती द्वारा पूरित की जाने वाली एवम् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का अभिनिश्चयन करेगा और जब तक परिषद द्वारा इस निमित्त कोई प्रक्रिया नहीं बनाई जाती तब तक राज्य सरकार द्वारा विहित कार्य विधि के अनुरूप प्रतियोगिता परीक्षा और या चयन में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा।

टिप्पणी :—

(i) इन विनियमों के प्रारम्भ के समय विहित आवेदन पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया इन विनियमों के परिशिष्ट 'ग' में दी गई है।

(ii) सरकारी सेवा या परिषद की सेवा या किसी अन्य सेवा में रत अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उचित माध्यम द्वारा आवेदन करें।

(२) प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जब और जैसे आवश्यक होगा, किया जायेगा।

(३) नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व रखने की आवश्यकता के अध्याधीन प्रतियोगिता परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची बनायेगा।

१४— पाठ्य-विवरण (Syllabus) आदि :

प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित पाठ्य विवरण एवं नियम वह होंगे जो समय-समय पर परिषद द्वारा निर्धारित किये जांय।

टिप्पणी :—

(१) लिपिक के पद पर भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा के लिये विहित विषय अधीनस्थ कार्यालयों में लिपिकीय कर्मचारी वर्ग की भर्ती के नियम ("Rules for Recruitment of Ministerial Staff to the Subordinate Officer") जो परिशिष्ट 'क' में उद्धृत है; के नियम ६ में दिये गये हैं।

(२) अवर टिप्पणीकार के लिये प्रतियोगिता परीक्षा के सम्बन्ध में इन विनियमों के परिशिष्ट 'घ' में दिये गये नियम भी लागू होंगे।

(३) आशुलिपिक की प्रतियोगिता परीक्षा के लिये विषय, पाठ्य विवरण एवं नियम इन विनियमों के परिशिष्ट (ङ) में दिये गये हैं।

१५— शुल्क :

अधिष्ठान में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी द्वारा समय समय पर परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। इन शुल्कों की वापसी के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी :—

इन विनियमों के प्रारम्भ के समय निर्धारित शुल्कमान एवं उसके अदा करने की अवधि इन विनियमों के परिशिष्ट (च) में दी गई है।

भाग—६ पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

१६— पदोन्नति के लिये चयन की प्रक्रिया :—

(१) मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता के कार्यालयों में किसी वर्ष में, आशुलिपिक के पद को छोड़कर उच्च श्रेणी के पदों में होने वाली प्रत्याशित मौलिक स्थानापन्न या अस्थायी रिक्तियों में पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये निम्न रूप से एक चयन समिति का गठन किया जायेगा।

(क) मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में कर्मचारियों की, अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालयों में मुख्य सहायकों, अधिशासी अभियन्ता के कार्यालयों में मुख्य लिपिकों की, तथा सभी कार्यालयों में संगणकों की भर्ती के लिये :—

(१) मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (प्रशासन)

(२) मुख्य अभियन्ता द्वारा मनोनीत अधीक्षण अभियन्ता की श्रेणी के दो अन्य अधिकारी।

(३) मुख्य अभियन्ता का एक वैयक्तिक सहायक

(ख) अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में कर्मचारियों की भर्ती के लिये (मुख्य सहायक एवं संगणकों को छोड़कर) :—

(१) वृत्त का अधीक्षण अभियन्ता।

(२) अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मनोनीत दो अन्य अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता से नीचे की श्रेणी के न हों।

(ग) अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में कर्मचारियों की भर्ती के लिये (मुख्य लिपिकों एवं संगणकों को छोड़कर)

(१) सम्बन्धित वृत्त का अधीक्षण अभियन्ता।

(२) वृत्त के दो अधिशासी अभियन्ता जिनमें एक उक्त खण्ड का होगा।

(२) जिस उच्च पद पर पदोन्नति की जानी है उस पद के लिये अभ्यर्थी की उपयुक्तता का निर्णय करने की दृष्टि से चयन समिति सभी पात्र अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों एवं पद क्रम सूची में उनकी स्थिति के सन्दर्भ में विचार करेगी।

(३) चयन समिति द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों के नामों को उनकी ज्येष्ठता के क्रम में एक सूची में व्यवस्थित किया जायेगा, और वर्ष के दौरान जब भी उनके लिये रिक्त पद उपलब्ध हो, उन्हें उसी क्रमानुसार नियम २० में निर्देशित रीति के अनुसार उन्हें मौलिक तथा/या स्थानापन्न एवं अस्थाई रिक्तियां प्रदान की जायेगी। यह सूची केवल एक वर्ष या आगामी चयन किये जाने तक लागू रहेगी। ऐसे चयन में अन्य पात्र अभ्यर्थियों के साथ उन अभ्यर्थियों को भी पुनः अवसर देना होगा जो यद्यपि गत चयन में स्थानापन्न पदोन्नति के लिये अनुमोदित हो, गये हों किन्तु उन्हें पदोन्नति का अवसर नहीं मिल सका था। पूर्व चयन के आधार पर स्थानापन्न रूप में पहले से कार्य कर रहे अभ्यर्थियों के मामले पुनः नहीं खोले जायेंगे, किन्तु स्थानापन्न रूप से कार्य करने की अवधि में उनके द्वारा कृत कार्य व उनके आचरण की समीक्षा की जा सकती है और यदि उन्होंने अपने कार्य और आचरण द्वारा स्थानापन्न पदोन्नति का औचित्य सिद्ध नहीं किया तो बिना कारण बतलाये ही जिस पद से उनकी स्थानापन्न पदोन्नति हुई है, उस पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा। यदि वे अन्य प्रकार से पदोन्नति के लिये पात्र रहते हैं तो आसन्न एवं अनुवर्ती चयनों में पुनः अवसर लेंगे।

(४) यदि दो क्रमागत वर्षों (Consecutive Years) में स्थाई रिक्तियां नहीं होती और केवल स्थानापन्न या अस्थायी रिक्तियों के लिये ही चयन करना आवश्यक हो तो उपरोक्त उपविनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

१७—मुख्य अभियन्ताओं के कार्यालय में आशुलिपिक के पद पर पदोन्नति :

(१) मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में आशुलिपिक के पद पर पदोन्नति के लिये वृत्तीय एवं खण्डीय कार्यालयों में कार्यरत आशुलिपिकों को समय समय पर निर्धारित विषयों में मुख्य अभियन्ता द्वारा संचालित अर्हकारी परीक्षा में बैठना पड़ेगा।

टिप्पणी :— अर्हकारी परीक्षा के विषय, पाठ्य विवरण एवम् नियम अंग्रेजी रचना (English Composition) तथा हिन्दी रचना (Hindi Composition) के प्रश्नपत्रों को छोड़कर वही होगे जो इन विनियमों के परिशिष्ट 'ङ' में आशुलिपिकों की सीधी भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा के लिये दिये हैं।

(२) परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के नाम उनकी ज्येष्ठता के क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे।

* १–६–७७ से पैरा १ व २ निम्न रूप में संशोधित

* परिषदीय विज्ञप्ति संख्या ३७६०–एन०जी०–II/एस०ई०बी०–चार–७७–४३१–वै/७०–टी०सी० दिनांक १–१२–१९७७ (अनुलग्नक–I)

मुख्य अभियन्ता के कार्यालयों में आशुलिपिक के पद पर पदोन्नति वृत्तीय एवम् खण्डीय कार्यरत स्थाई आशुलिपिकों में से अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी। इस प्रकार पदोन्नत आशुलिपिकों को दो वर्षों की अवधि के लिये परिवीक्षा पर कार्य करना होगा तथा मुख्य अभियन्ता के आशुलिपिकों के संवर्ग के लिये उनका अनुमोदन परिवीक्षा अवधि को सफल एवम् संतोषजनक रूप से समाप्ति के अधीन होगा। यदि उपरोक्त परिवीक्षा अवधि में वे अपेक्षितस्तर प्राप्त नहीं कर पाते होता तो उन्हें वृत्तीय/ खण्डीय कार्यालय संवर्ग में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

भाग—७ नियुक्ति, परिवीक्षा तथा स्थाईकरण

१८—प्रतीक्षा सूची :

(१) विनियम ६ तथा १२ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष में होने वाली सम्भावित रिक्तियों की संख्या तक विनियम १३ के उपविनियम (३) के अनुसार निर्मित सूची में से योग्यता क्रम में सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों का चयन इस प्रतिबन्ध के साथ करेगा कि वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि वे नियुक्ति के लिये अन्य प्रकार से भी विधिवत अर्ह है और उनके नाम उसी क्रम में प्रतीक्षा सूची में प्रविष्ट करेगा।

(क) मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में अवर टिप्पणीकार तथा अभिलेखपाल (ख) नैत्यक श्रेणी लिपिक तथा समयपाल (ग) आशुलिपिक के पदों पर नियुक्ति के लिये अनुमोदित अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक प्रतीक्षा सूचियां होंगी।

(२) जहाँ दो या से अधिक श्रेणी के कर्मचारियों में से पदोन्नति की जाय वहां विनियम १६ के उपविनियम (३) के अनुसार प्रत्येक श्रेणी से चुने गये अभ्यर्थियों की पृथक पृथक सूचियां बनाई जायेंगी तथा विनियम ५ में विभिन्न श्रोतों से भर्ती के लिये उल्लिखित क्रम के अनुसार पहले से ही व्यवस्थित विभिन्न सूचियों में से निर्धारित अनुपात में प्रत्येक सूची से बारी बारी से नाम लेते हुए उन अभ्यर्थियों की एक मिली जुली प्रतीक्षा सूची बनाई जायेगी।

उदाहरण :— मान लीजिये अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में मुख्य सहायक के १६ पद हैं जिनके लिये पात्रता निम्न प्रकार है :—

५०% अर्थात ८	मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में वरिष्ठ टिप्पणीकार
१२$^1/_2$% अर्थात २	मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में आशुलिपिक।
२५% अर्थात ४	खण्डीय कार्यालयों में मुख्य लिपिक।
१२$^1/_2$% अर्थात २	वृत्तीय कार्यालयों में वरिष्ठ टिप्पणीकार।

विनियमों के प्रारूप के अनुसार नियुक्तियाँ निम्न प्रकार से होनी चाहिये :—

(क)	प्रथम चार	मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में वरिष्ठ-टिप्पणीकार
(ख)	उसके बाद एक	मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में आशुलिपिक।

(ग)	उसके बाद दो	खण्डीय कार्यालयों में मुख्य लिपिक ।
(घ)	उसके बाद एक	वृत्तीय कार्यालयों में वरिष्ठ टिप्पणीकार और आगे भी इसी क्रम में

१९— नियुक्ति प्राधिकारी :

मुख्य अभियन्ता अपने कार्यालय में समस्त कर्मचारी वर्ग का वृत्तीय कार्यालयों में मुख्य सहायकों का, सभी कार्यालयों में संगणकों का एवं खण्डीय कार्यालयों में मुख्य लिपिकों का, नियुक्ति प्राधिकारी होगा । वृत्त का अधीक्षण अभियन्ता अपने तथा वृत्त के खण्डीय कार्यालयों के शेष कर्मचारी वर्ग का नियुक्ति प्राधिकारी होगा ।

२०— नियुक्ति :

(क) मौलिक रिक्तियों के होने पर नियुक्ति प्राधिकारी विनियम १८ के अनुसार निर्मित प्रतीक्षा सूचियों में से सम्बन्धित प्रतीक्षा सूची में दिये गये नामों के क्रम में नियुक्तियां करेगा ।

(ख) जहां सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों द्वारा नियुक्ति की जानी हो वहां विनियम ५ में जिस क्रम में दोनों स्रोतों की रिक्तियां आवंटित की गई है, उसी क्रम में उन्हें भरा जायेगा ।

उदाहरण :— मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में वरिष्ठ टिप्पणीकार के पद पर भर्ती के मामले में प्रत्येक प्रथम रिक्ति परिषद के मुख्यालय के प्रवर वर्ग सहायक द्वारा पूरित की जायेगी द्वितीय रिक्ति की पूर्ति वृत्तीय कार्यालयों के वरिष्ठ टिप्पणीकार द्वारा की जायेगी तथा शेष दो रिक्तियों की पूर्ति मुख्य अभियन्ता के कार्यालय अवर टिप्पणीकारों तथा अभिलेखपालों द्वारा की जायेगी और यही क्रम आगे चलेगा ।

२— नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी एवं स्थानापन्न रिक्तियों में भी सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिये चुने गये अभ्यर्थियों की सूची में से नियुक्तियां करेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी नियुक्तियों के लिये कोई अनुमोदित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी इन विनियमों के अनुसार नियुक्तियों के लिये पात्र व्यक्तियों में से ऐसी नियुक्ति कर सकता है परन्तु इस प्रकार नियुक्त किये गये अभ्यर्थी की नियुक्ति का चलते रहना उसके द्वारा अगला अवसर लेने परीक्षा में बैठने तथा उसमें चुने जाने पर निर्भर करेगा ।

प्रतिबन्ध यह भी है कि नीचे दी हुई श्रेणियों के पदों में चार माह से अनधिक की अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों की पूर्ति प्रत्येक के सामने लिखे कर्मचारियों की श्रेणी में से यथास्थिति पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा प्रत्येक के सामने निर्देशित अधिकारी द्वारा की जायेगी ।

पद जिसकी रिक्ति है	कर्मचारियों की श्रेणी जिसमें से पदन्नति या स्थानान्तरित किया जा सकता है	पदोन्नति या स्थानान्तरण करने वाला प्राधिकारी
१	२	३

(क) मुख्य अभियन्ता का कार्यालय

१–मुख्य सहायक (H. A.)	वरिष्ठ टिप्पणीकार जो सम्प्रति कार्यालय के उसी अनुभाग में कार्यरत हैं जिसमें रिक्ति है	मुख्य अभियन्ता
२–वरिष्ठ टिप्पणीकार (S. N. D.)	अवर टिप्पणीकार तथा अभिलेखपाल जो सम्प्रति कार्यालय के उसी अनुभाग में कार्यरत हैं जिसमें रिक्ति है।	मुख्य अभियन्ता
३–अवर टिप्पणीकार (J.N.D.) एवं अभिलेखपाल (R. K.)	नैत्यक श्रेणी लिपिक (R. G. C.)	मुख्य अभियन्ता
४–संगणक (Computor)	प्रारूपकार (Draftsman)	मुख्य अभियन्ता

(ख) किसी भी वृत्तीय कार्यालय में

१–मुख्य सहायक (H. A.)	वृत्त के वरिष्ठ टिप्पणीकार (S. N. D.)	अधीक्षण अभियन्ता
२–वरिष्ठ टिप्पणीकार (S.N.D.)	वृत्त के अवर टिप्पणीकार (J.N.D.)	अधीक्षण अभियन्ता
३–अवर टिप्पणीकार (J.N.D.)	वृत्त के नैत्यक श्रेणी लिपिक (R.G.C.)	अधीक्षण अभियन्ता
४–संगणक (Computor)	प्रारूपकार (Draftsman)	अधीक्षण अभियन्ता

(ग) किसी भी खण्डीय कार्यालय में

१–मुख्य लिपिक (Head Clerk)	खण्डीय कार्यालय के वरिष्ठ टिप्पणीकार (S.N.D.)	खण्डीय कार्यालय का प्रभारी अधिशासी अभियन्ता।

१–टिप्पणीकार Noter & Drafter	खण्डीय कार्यालय के नैत्यक श्रेणी लिपिक		—
१–मुख्य समयपाल Head Time Keeper	समयपाल (Time Keeper)		—

२१— ज्येष्ठता :

(१) अधिष्ठान में नियुक्त व्यक्तियों की उस पद श्रेणी में जिसमें उनकी नियुक्ति हुई है ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि के क्रम में निर्धारित की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति एक ही तिथि में हुई है तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उस क्रम के अनुसार निर्धारित की जायेगी जिस क्रम में विनियम २० के अनुसार उनकी नियुक्ति की गई है।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी वर्ष में सीधे भर्ती से लिये गये अभ्यर्थियों की परस्पर ज्येष्ठता प्रतियोगिता परीक्षा में श्रेष्ठता के क्रम में उनको प्राप्त स्थान के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि सीधी भर्ती द्वारा लिया गया कोई अभ्यर्थी नियुक्ति प्रदान किये जाने पर बिना उचित कारण के योगदान नहीं करता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(२) इन विनियमों के अनुसार नियमित चयन के आधार पर अधिष्ठान के किसी भी संवर्ग में अस्थायी या स्थानापन्न रूप से नियुक्त व्यक्तियों को भी पारस्परिक ज्येष्ठता आवश्यक परिवर्तनों सहित इस विनियम का उपविनियम (१) के उपबन्धों के आधार पर की जायेगी।

२२— परिवीक्षा :

(१) अधिष्ठान में स्थानापन्न रूप से नियुक्ति के अतिरिक्त मौलिक रिक्ति में या उसके समक्ष नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि :–

अधिष्ठान के संवर्ग में अन्तर्भूत किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप से की गई अनवरत समस्त या आंशिक सेवा को उस पद हेतु परिवीक्षा अवधि को संगणित करते समय गिना जा सकता है।

द्वितीय प्रतिबन्ध यह है कि :–

नियुक्ति प्राधिकारी किन्हीं कारणों से जिन्हें लेखनीबद्ध किया जायेगा व्यक्तिगत मामलों में कुल दो वर्ष से अनधिक काल के लिये परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है। इस अवधि से अधिक परिवीक्षा के विस्तार के लिये परिषद की स्वीकृति आवश्यक होगी परिवीक्षा

(१) विस्तार के आदेश में उस निश्चित तिथि का उल्लेख किया जायेगा जिस तिथि तक विस्तार स्वीकृत किया गया है ।

(२) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ी हुई परिवीक्षा अवधि के दौरान यह बात जानकारी में आती है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या अन्य प्रकार से संतुष्टि प्रदान करने में असफल रहा है तो, यदि वह नियुक्ति के पूर्व किसी निम्न पद पर कार्यरत रहा है तो उसे उस पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है या यदि उसको नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा हुई है तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती हैं ।

(३) जिस व्यक्ति को विनियम (२) के अधीन परिवीक्षा की अवधि में या बढ़ाई गई परिवीक्षा की अवधि में सेवा से पृथक कर दिया गया हो वह किसी क्षतिपूर्ति का अधिकारी नही होगा ।

२३— स्थाईकरण :

यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सत्यनिष्ठा प्रमाणित है तथा नियुक्ति प्राधिकारी उसे स्थाईकरण के योग्य समझता है तो परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के समापन पर उसे स्थाई कर दिया जायेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि :–

किसी आशुलिपिक की जिसकी नियुक्ति हिन्दी तथा अंग्रेजी आशुलिपि में क्रमशः ६० तथा ८० शब्द प्रति मिनट की गति के आधार पर हुई है पद पर तभी स्थाई किया जायेगा जब वह हिन्दी तथा अंग्रेजी में क्रमशः ८० तथा १०० शब्द की गति प्राप्त कर लें ।

भाग–८ वेतन

२४— वेतनक्रम :

अधिष्ठान में नियुक्त व्यक्तियों के लिये अनुमन्य वेतनक्रम चाहे उनकी नियुक्ति मौलिक हो अथवा स्थानापन्न अथवा स्थाई वह होगा, जो परिशिष्ट 'छ' में दर्शाया गया है ।

२५— परिवीक्षा की अवधि में वेतन :

१– सरकारी सेवा में या परिषद की सेवा में पहले से स्थाई रूप से कार्यरत व्यक्ति के अतिरिक्त सीधी भर्ती द्वारा सेवा नियुक्त कोई व्यक्ति परिवीक्षा के प्रथम वर्ष में, जिस पद पर वह नियुक्त हुआ हो उस पद का प्रारम्भिक वेतन प्राप्त करेगा । वह अपनी प्रथम वेतन वृद्धि परिवीक्षा के प्रथम वर्ष को संतोष जनक समाप्ति के बाद प्राप्त करेगा तथा द्वितीय वेतन वृद्धि स्थाई होने के बाद प्राप्त करेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि संतुष्टि न प्रदान कर सकने के कारण परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा आदेश न दे इस प्रकार बढ़ाई गई परिवीक्षावधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नही की जायेगी ।

२– सरकारी सेवा या परिषद की सेवा में पहले से ही स्थाई रूप से नियुक्त व्यक्तियों या पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परिवीक्षा अवधि में अनुमान्य वेतन का विनियमन विनियम २८ में निर्देशित सुसंगत नियमों तथा विनियमों द्वारा होगा।

२६— दक्षतारोक को पार करने का मानदण्ड :

१– किसी भी व्यक्ति को :—

(i) प्रथम दक्षतारोक तब तक पार नहीं करने दिया जायेगा जब तक यह न पाया जाय कि उसने दृढ़तापूर्वक तथा अपनी पूर्ण योग्यता से कार्य किया है तथा उसकी सत्यनिष्ठता प्रमाणित है।

(ii) द्वितीय तथा उसके बाद आने वाले दक्षतारोक तब तक पार नहीं करने दिये जायेंगे जब तक यह न पाया जाय कि वह योग्यता तथा सम्यक ईमनादारी के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने में पूर्ण रूप से सक्षम है तथा जब तक उसकी सत्यनिष्ठा न प्रमाणित हो जाय।

२– व्यक्तियों को दक्षतारोक पार करने की अनुमति प्रदान करने वाले आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिन्हें यह अधिकार प्रत्यायोजित किया गया हो जारी किया जायेगा।

भाग–९ अन्य उपबन्ध

२७— पक्ष प्रचार :

इन विनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित संस्तुतियों को छोड़कर भर्ती के लिये अन्य किसी भी लिखित अथवा मौखिक संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी अन्य प्रकार की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष समर्थन प्राप्त करने का प्रयास उसे अयोग्य बना सकता है।

२८— वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का विनियम :

इन विनियमों में किये गये किन्हीं उपबन्धों को छोड़कर किसी सदस्य के वेतन भत्ते, अवकाश तथा सेवा की अन्य शर्तें जब तक परिषद स्वयं अपने विनियम न बना ले राज्य सरकार के ऐसे समरूपी समान श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू नियमों द्वारा नियंत्रित होगी जिन्हें परिषद ने ग्राह्य कर लिया हो।

२९— इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी :

१– अधिष्ठान के संवर्ग में किन्हीं पदों पर या ऐसे पदों पर जिन्हें अधिष्ठान के संवर्ग के लिये अतिरिक्त पद घोषित किया गया हो राज्य सरकार से अन्य स्रोतों से प्रतिनियुक्ति पर या वाह्य सेवा पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें जब तक वे परिषद की सेवा